बीस रुपये TWENTY RUPEES

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /एक/2016 अपील अपील–3566–I–16

237

लाखन सिंह धाकड़ अभि० 10-10-16

प्रस्तुत

Fee 10-10-16

238 10-10-16

1– बालचंन्द्र पुत्र श्री बिहारीलाल गुप्ता मृत वारिसान:–
(अ) पार्वती वेवा बालचंन्द्र गुप्ता
(ब) जितेन्द्र उर्फ जित्तू
(स) राजेन्द्र गुप्ता
(द) नेहा गुप्ता पुत्र/पुत्रीगण बालचंन्द्र गुप्ता

2– मोहनलाल

3– गुलाबचंन्द्र पुत्रगण बिहारीलाल निवासीगण– जतारा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

.... अपीलार्थीगण

10.10.16
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

बनाम

1– हुकुमचंन्द्र पुत्र पन्नालाल जैन निवासीगण– जतारा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

2– प्रभारी अधिकारी सेवा सहकारी समितियां टीकमगढ, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

3– वसूली अधिकारी सेवा समितियां टीकमगढ , जिला टीकमगढ (म.प्र.)

4– विक्री अधिकारी सेवा समितियां टीकमगढ, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

.... प्रतिअपीलार्थीगण

<u>अपील आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जतारा, जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 118/अपील/2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत ।</u>

श्रीमान् जी,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3566-एक/2016 जिला टीकमगढ़ बालचंद्र विरूद्ध हुकुमचंद्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा उपखंड अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 118/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. उपखंड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य